कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल sldcldwrlu-up@nic.in

डी- मेल

पत्रांक–391 /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनॉक 18 जून,2015

1 समस्त उप निदेशक,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0।
2. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 363/एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 02.06.2015 का सन्दर्भ लें, जिसमें निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2011–12 एवंम् वर्ष 2012–13 में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु वर्कफेज की धनराशि भारत सरकार से आगामी वर्ष में भी अवमुक्त न होने तथा फण्डिंग पैटर्न में संशोधन होने के कारण जनपद स्तर पर स्थापित डब्ल्यू.सी.डी.सी. में मात्र एक टेक्निकल एक्सपर्ट तथा एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रखा जाए। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया था कि बाद में रखे गये टेक्निकल एक्सपर्ट एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएं वापस लेने हेतु सेवा प्रदाता विब्योर इन्फो प्रा.लि. से अनुरोध कर लिया जाए। कतिपय जनपदों यथा– सीतापुर, अलीगढ़, सम्भल, संतकबीरनगर, गाजीपुर आदि से ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ रहें है जिसमें वरिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को सेवा प्रदाता के लिए कार्यमुक्त किया गया है। आप द्वारा लिया गया इस प्रकार का निर्णय निर्गत निर्देशों की अवहेलना है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बाद में रखे गये अर्थात् कनिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट और कनिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएं वापस लेने हेतु सेवा प्रदाता से अनुरोध किया जाए तथा यदि किसी कारणवश पूर्व में रखे गये अर्थात् वरिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाओं को सेवा प्रदाता को वापस किये जाने की आवश्यकता है तो उन कारणों का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करें, प्रेषित विवरण के परीक्षण के पश्चात् यदि एस.एल.एन.ए. से आपको अनुमति प्रदान की जाती है तो उन्ही परिस्थितियों में वरिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाओं को वापस किया जाएगा। इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त न होने तक वरिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत माने जायेंगे।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक– /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. विग्ब्योर इन्फो प्रा.लि., रोहित भवन, सप्रूमार्ग, लखनऊ।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी